

नगर पालिका, खुडाला फालना स्टे.

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/KHUDALA FALNA STATION/FIRENOC/2025-26/63937
जारी दिनांक: 15-MAY-2026 वैधता दिनांक: 14-MAY-2028

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: ANANT NARAYAN SINGH
आवेदक का पता: RAJASTHAN NOBLES PUBLIC SCHOOL FALNA

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन NOBLE EDUCATION SOCIETY, 00, NEAR PHED OFFICE FALNA, SANDERAO ROAD FALNA, FALNA, PALI, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्त:-

1. बिल्डींग में आपात सेवाओं के दूरभाष नम्बर व धूम्रपान निषेध का साईन बोर्ड लगाना होगा
2. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथी से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा
3. एक वर्ष के पचात अनापत्ति प्रमाण पत्र, का नवीनीकरण करवाया जाना आवश्यक होगा अन्यथा अनापत्ति प्रमाण स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
4. बिल्डींग के समस्त स्टॉफ व सिक्पेरिटी गार्ड को वर्ष में एक बार अग्निमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाने आवश्यक होगा।
5. बिल्डींग में लगे अग्निमन यंत्रों को हमेशा चालु हालत में रखना होगा।
6. अग्निमन यंत्रों को समयावधि में रिफिलिंग करवाने होंगे।
7. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24x7 घण्टे फॉयर प्रशिक्षण कर्मचारी रखना होंगे
8. यदि राज्य सरकारी/परिशद द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है। तो प्रबंधक को मान्य होगा।
9. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि में मान्य होगा।
10. बिल्डींग में पानी का टैंक उपर नीचे बनाना होगा, जिसका कनेक्शन उच्च हॉस पॉवर मोटर के साथ पर पाईप लगाना होगा।
11. बिल्डींग में साईन (सिंगल) बोर्ड लगाने होंगे।
12. बिल्डींग में आने व जाने के लिये रास्ता खुला रखना होगी।
13. बिल्डींग में वाहनों को रखने के लिये पार्किंग व्यवस्था रखनी होगी।
14. बिल्डींग के व्यवस्थापक द्वारा राजस्थान सरकार नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त भासन विभाग जयपुर आदेश क्रमांक 2020 पार्ट दिनांक 14.10.2023 व नोनल बिल्डींग कोड 2002/2016 एवं नगर पालिका अधिनियम के तहत नियमों की अनिवार्य रूप से पालना करनी होगी।
15. बिल्डींग में व्यवस्थापक को आपातकालीन स्थिति में बिजली (जेनेटर) की व्यवस्था रखनी होगी।
16. व्यवस्थापक द्वारा प्लॉट के प्रस्तुत दस्तावेज एवं बिल्डींग के मानचित्र अनुसार अलावा और निर्माण कार्य करने पूर्व राज्य सरकार /परिशद द्वारा/अग्निमन अधिकारी से अनुमति लेनी होगी।
17. बिल्डींग के अन्दर किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अतिज्वलनीय पदार्थ नहीं रखा जावे।
18. बिल्डींग में रोप लेडर व दो रस्सा बिल्डींग के सभी टॉवर में टावर कि उचाई जितना ही समय बिल्डींग में रखना होगा।
19. भूमि व बिल्डींग संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
20. बिल्डींग का अग्निमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत (चालु हालत) नहीं पाये जाने की स्थिति में यह अभिंशा पत्र निरस्त माना जायेगा।



Signed by: Vinay Pal
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: KHUDALA FALNA STATION,
Rajasthan
Date: 15/05/2025 19:26:37

अग्निशमन अधिकारी
नगर पालिका, खुडाला फालना स्टे.